न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 368/2019

1. रामसुख
2. प्रहलाद
3. जगदीश
4. रामचन्द्र
5. लालाराम
6. रखीलाल

पुत्रान चौथू, समस्त जाति कुम्हार, निवासीः ग्राम दुर्जनियावास, तहसील व जिला जयपुर।

7. प्रभात पुत्र रामनाथ
8. गोरूलाल पुत्र रामनाथ
9. गोगराज पुत्र भोलू
10. नन्दकिशोर पुत्र मोहनलाल
11. रामकुमार पुत्र मोहनलाल
12. माली देवी बेवा मोहनलाल
13. नीतू बेवा बालूराम
14. काजल
15. संतोष
16. प्रिया
17. राजू

अपीलार्थी सं. 14 लगायत 17 जरिये संरक्षिका माता नीतू देवी पत्नि बालूराम, समस्त जाति कुम्हार, निवासीः ग्राम दुर्जनियावास, तहसील व जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. जटाशंकर पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम दुर्जनियावास, तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक तृतीय, तहसील व जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर वाद संख्या 44/2016 उनवानी जटाशंकर बनाम भोलू अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री शिवसिंह चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री जी.एल.मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 11.03.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

–: निर्णय :–

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर के वाद संख्या 44/2016 बउनवानी जटाशंकर बनाम भोलू में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 31.07.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम दुर्जनियावास, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 55 पुराना 51 के खसरा नंबर 120 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में वादी का हिस्सा 1/4 हिस्सा निहित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में सह हिस्सेदार सह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा करके अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त निरन्तर चले आ रहे है और अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि की बाजार दर में अत्यधिक वृद्वि हो जाने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई है इस कारण प्रतिवादीगण वादी की कब्जे काश्त की आराजी को बेचान करने पर आमादा है जब वादी ने प्रतिवादीगण को विधिवत तकासमा कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण कानूनी विभाजन करवाने को इंकार हो गये एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त एवं विभाजित हक में हस्तक्षेप कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी इस वजह से वादीगण को वाद विभाजन आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि ग्राम दुर्जनियावास, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 55 पुराना 51 के खसरा नंबर 120 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा का वादी के कब्जे काश्त के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से 1/4 का पृथक से पर्चा लगान एवं राजस्व नक्शा कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के हिस्से की आराजीयात पर वादी के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी न करे, आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरित इत्यादि ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन अपने निर्णय दिनांक 12.05.2017 के द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभयपक्षों की उपस्थिति में कुरैजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा कुरैजात प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील उभयपक्षों की कुरैजात पर बहस सुनकर अपने अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 31.07.2019 के द्वारा मुताबिक कुरैजात पक्षकारान के मध्य विभाजन कर अलग से खाता कायम किये जाने की अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। जिससे व्यथित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित करते समय तहसीलदार को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभयपक्षों की उपस्थिति में कुरैजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे बावजूद इसके तहसीलदार द्वारा बिना पक्षकारान को सूचित किये ही मनमर्जी से कुरैजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जिन पर गौर किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय डिक्री पारित किया गया है। कुरैजात रिपोर्ट पटवारी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व निर्मित किये गये तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये है। इन समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2018 को अंतिम डिक्री पारित की गई है जो विधिनुसार गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2009 आर.आर.डी. पेज 378, 2009 (4) आर.आर.टी. पेज 725, 1997 आर.बी.जे. पेज 315, 1977 आर.आर.डी. पेज 470, 2017 (1) आर.आर.टी पेज 689 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को कुरैजात तैयार करते समय अपीलान्ट्स को सूचित करवाया था किन्तु अपीलान्ट्स मौके पर उपस्थित नहीं हुये। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर राजस्व मंडल के नियमानुसार कुरैजात तैयार किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुरैजात का अध्ययन कर बाद अध्ययन कुरैजात सही पाये जाने पर अंतिम डिक्री पारित की है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 31.07.2019 पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2017 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर दिनांक 31.07.2019 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर पक्षकारान के मध्य तकासमा किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजीयात में सहकाश्तकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति जाहिर किये जाने पर निर्णय दिनांक 12.05.2017 को विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में दिनांक 31.07.2019 को अंतिम निर्णय डिक्री जारी की गई जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा कुरैजात रिपोर्ट दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

07.11.2017 प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलान्ट की आपत्ति प्रस्तुत होने पर न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की आपत्ति स्वीकार कर तहसीलदार को पुनः कुरैजात रिपोर्ट राजस्व मंडल के आदेशानुसार बनाये जाने हेतु आदेशित किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान को सूचित कर कुरैजात रिपोर्ट निर्मित की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुरैजात रिपोर्ट दिनांक 10.05.2019 को देखने से स्पष्ट है कि कुरैजात पर स्वयं की उपस्थिति स्वरूप तहसीलदार के हस्ताक्षर है जिससे यह साबित है कि तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में कुरैजात रिपोर्ट तैयार किये गये है। जिससे अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के अपील व अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति में उठाये गये उज्र कि कुरैजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा निर्मित न की जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये जाने से राजस्व मंडल के विभाजन के नियम के विपरीत है, निराधार एवं कपोल कल्पित पाये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व ही लिखित कथन व जवाबदावा दिनांक 22.11.2016 को प्रस्तुत किया जा चुका था जिसमें मृतक भोलू द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के दक्षिणी दिशा के साथ–साथ पश्चिमी दिशा की ओर भी रास्ता होना दर्शित किया गया है। तदुपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट पर भी भोलू के वारिसान द्वारा वाद में लगातार भाग लेते हुये आपत्ति कुरैजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजीयात के दक्षिणी दिशा के साथ–साथ पश्चिमी दिशा की ओर भी रास्ता होना, के तथ्यों को प्रमाणित किया है। सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4(4) में स्पष्ट वर्णित है कि " वादी को किसी ऐसे प्रतिवादी के जो लिखित कथन फाईल करने में असफल रहा है या जो उसे फाइल कर देने पर, विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने में छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरूद्व उस प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल और प्रभाव रहेगा मानों वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो। " इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील की मद संख्या 9 में मृतक खातेदार भोलू के विरूद्व अवैध अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने का उठाया गया उज्र निराधार होना पाया जाता है। प्रतिवादीगण/अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब व आपत्ति में भूमि की पश्चिम दिशा में रास्ता कायम होने के तथ्यों को वर्णित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि कुरैजात रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्ट को रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुये राजस्व मंडल के नियमानुसार भूमि प्रदत्त की गई है। राजस्व मंडल के विभाजन नियम 20(ड) में स्पष्टया वर्णित है कि " भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो। " इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर राजस्व मंडल के नियमानुसार समस्त खातेदारान को भूमि पर आवागमन व काश्त करने हेतु रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुये सही कुरैजात रिपोर्ट तैयार किये गये है। उपरोक्त विवेचन अनुसार यह साबित पाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये सही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। चूंकि उपरोक्त विवेचन से यह साबित हो चुका है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर स्वयं उपस्थित होकर कुरैजात रिपोर्ट तैयार की गयी है इस कारण वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 31.07.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner